



क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-6/2022/डी- 2371

दिनांक 4822

सार्वजनिक विज्ञप्ति

राज्य सरकार राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 संशोधित अधिसूचना क्रमांक प.11(8)नविवि/2020 दिनांक 24.02.2021 के अनुसरण में यह सूचित किया जाता है कि जिला कलेक्टर के द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु जारी लीजडीड का प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत एवं प्रभावी मास्टर विकास योजना-2025 जयपुर क्षेत्र/जोनल विकास योजना-5 में दर्शित भू-उपयोग अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव है:-

प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन

आवेदक श्री मनोज चौधरी पुत्र श्री रामशरण चौधरी द्वारा ग्राम महापुरा उर्फ कुकरखेड़ा के खसरा नम्बर 78/2 क्षेत्रफल 375 व.ग. का जिला कलेक्टर के द्वारा भूखण्ड संख्या-07 का औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु जारी लीजडीड का भू-उपयोग औद्योगिक से मिश्रित प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त औद्योगिक भूखण्ड संख्या-7 के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा की ओर अन्य भूमि, दक्षिण दिशा की ओर 130 फीट चौड़ी सड़क, पूर्व दिशा की ओर 25 फीट चौड़ी सड़क एवं पश्चिम दिशा की ओर दुकाने दर्शित है।

अतः कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस विज्ञप्ति के दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा उपायुक्त जोन-6, जविप्रा को कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियम कालावधि में आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सूचित रहें।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 4-8-22 को जारी की गई।

(उज्ज्वल राठौड़)

सचिव

जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
3. उप निदेशक (जनसंपर्क), जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि दो प्रमुख दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की दो-दो प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करावें।
4. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
5. नोटिस बोर्ड

(बलवन्त सिंह लीग्री)

उपायुक्त जोन-6

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-6/2022/डी-2351 A

दिनांक : 4-8-22


संशोधित कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-6/2022/डी- 2352
दिनांक 04.08.2022 को लोहामण्डी योजना में आवासीय भूखण्डों के आवंटन हेतु दि. 04.08.2022 को निम्नांकित अधिकारियों की उपस्थिति में लॉटरी निकाले जाने के आदेश जारी किये गये थे, जिनमें अतिरिक्त आयुक्त (भूमि), जविप्रा के स्थान सहवन से अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा टंकित हो गया है। अतः उक्त लॉटरी में उपस्थिति हेतु अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा के स्थान पर अतिरिक्त आयुक्त (भूमि), जविप्रा पढा जावें।

-६-
उपायुक्त जोन-06
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर।
5. अधिशाषी अभियंता, जोन-06, जविप्रा, जयपुर।
6. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा
7. कनिष्ठ लेखाकार, जोन-06, जविप्रा, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।


उपायुक्त जोन-06
जविप्रा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एकराटेशन : (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)